



# सराहनीय कार्य



## इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 30.08.2024

मात्र 12 घण्टे के अन्दर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

### घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.08.2024 को थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत वादिनी द्वारा थाना इकदिल पर विपक्षी अंकित राठौर द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना इकदिल पर सूचना दी गयी सूचना पर तत्काल थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 216/2024 धारा 65(2) बीएनएस व धारा 5M/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 30.08.2024 को थाना इकदिल पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 216/2024 से सम्बन्धित अभियुक्त अंकित राठौर पुत्र रामौतार को गंगा धर्मकाँटे के पास ग्वालियर बाईपास रोड मानिकपुर मोड से समय करीब 10.52 बजे गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अंकित राठौर पुत्र रामौतार निवासी मानिकपुर मोड अड्डा सती विष्णु पेट्रोल पम्प के सामने थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र 23 वर्ष।

### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 216/2024 धारा 65(2) बीएनएस व धारा 5M/6 पोक्सो एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा।  
पुलिस टीम- निरी0 श्री भीमसैन पौनिया प्रभारी थाना इकदिल, उ0नि0 करनवीर सिंह, का0 देवेन्द्र कुमार, म0का0 गोल्डी वर्मा, हे0का0 चालक शम्भूदयाल।